

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल) जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 34/BTPC/BHOJ/ADV/2018

भोपाल दिनांक 12/02/2018

निविदा विज्ञप्ति

दिनांक 16/03/2018 से 01/04/2018 तक "Bhoj Adventure Fest-2018" के आयोजन में सहासिक खेल जैसे हॉट एयर बैलून, पैरासेलिंग एवं पैरामोटर, रिवर्स बंझी जम्पिंग (45 फीट), एटीवी बाइक, वाटर जोरबिंग/बर्मा ब्रिज/ रॉक क्लाइम्बिंग/वाटर स्कूटर/बनाना राईड/जिप लाइन/वाल क्लाइम्बिंग/टेम्पोलिन / Sport Kit / फ्लाइंग फॉक्स एवं वाटर स्पोर्ट, /एरोमॉडलिंग, स्विस् टैंट /Camping, तथा अन्य साहसक खेल कराने हेतु सील बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 27/02/2018 मंगलवार को 5.00 PM बजे तक कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल में स्पीड पोस्ट/स्वयं के द्वारा आमंत्रित की जाती है, जिसे दिनांक 28/02/2018 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधी के समक्ष खोला जावेगा। धरोहर राशि वित्तीय प्रस्ताव के साथ डी.डी. (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल के नाम देय) के माध्यम से जमा करना होगा। तकनीकी प्रस्ताव प्रथक रूप से जमा होगा, तकनीकी प्रस्ताव मान्य होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव विचारणीय होंगे। निविदा की शर्तें एवं फार्म कार्यालयीन समय में कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल से अथवा वेब साईट www.bhopal.nic.in and web page www.facebook.com/btpc.bpl एवं **watsup no 8770687740** से प्राप्त की जा सकेगी। (फॉर्म का मूल्य 5000.00) ऑन लाइन डाउन लोड करने पर राशि सस्था के खाते में जमा कर रसीद तकनीकी प्रस्ताव के साथ नस्ती करनी होगी आदेशानुसार

**कलेक्टर एवं अध्यक्ष बी टी पी सी
भोपाल**

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल) जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 35/BTPC/BHOJ/ADV/2018

भोपाल दिनांक 12/02/2018

निविदा विज्ञप्ति

दिनांक 16/03/2018 से 01/04/2018 तक "Bhoj Adventure Fest-2018" के आयोजन में टी-शर्ट, कैप, टैक.सूट, पी.टी.शूज /सादा भोजन, /प्रिन्टिंग कार्य /आयोजन की ब्राडिंग /मैन पावर/सुरक्षा गार्ड, /ओन लाइन सुरक्षा सीसी टी वी से हेतु सील बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 28/02/2018 मंगलवार को 5.00 PM बजे तक कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल में स्पीड पोस्ट/स्वयं के द्वारा आमंत्रित की जाती है , जिसे दिनांक 28/02/2018 को अपरान्ह 5.00 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधी के समक्ष खोला जावेगा । अन्य निविदा की शर्तें एवं फार्म कार्यालयीन समय में कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल से अथवा बेव साईट www.bhopal.nic.in and web page www.facebook.com/btpc.bpl एवं watsup no 8770687740 से प्राप्त की जा सकेगी । (फॉर्म का मूल्य 5000.00) आदेशानुसार
कलेक्टर एवं अध्यक्ष बी टी पी सी
भोपाल

समूहके लिये
आवेदन पत्र (Expression of interest)

तकनीकी प्रस्ताव

1. प्रशासनिक / तकनीकी विवरण

1.1 आवेदक संस्था का भारत के किसी फर्म एंड सोसायटी / कंपनी के रजिस्ट्रार से पंजीकृत होने का मान्यता पत्र ।

पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

(1) संस्था का नाम -

.....

(2) पंजीयन संस्था का स्थान -

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र -

.....

(4) पंजीयन कार्यालय का नाम व पता -.....

.....

e-Mail.....

Contact no.....

.....

1.2 आवेदित संस्था द्वारा पिछले वर्षों में पर्यटन / एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन से संबंधित किये गये कार्यों का विवरण (न्यूनतम 5 वर्ष के कार्यों का विवरण)

क्रं	कार्य का विवरण	कार्यादेश देने वाली संस्था / क्लाइंट का नाम व पता एवं दूरभाष क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क कार्ययोजना से संबंधित फोटोग्राफ प्रमाणपत्र, सी.डी या अन्य कोई विवरण हो तो संलग्न करें।

(पृथक से शीट लगाये) संबंधित विभाग संस्था के कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

1.3

आवेदक के पास एडवेंचर स्पोर्ट्स के उपलब्ध उपकरणों की सूची ।

क्रमांक	उपकरण का नाम	मैंक	किस वर्ष का उपकरण	संख्या	रिमार्क (स्वयं का या किराये का)

1.4

आवेदक संस्था के पास प्रशासनिक संचालन तथा खेलों के आयोजन के लिये उपलब्ध प्रबंधक / प्रशिक्षक / पायलेटों की सूची (प्रत्येक का संक्षिप्त बायोडाटा भी संलग्न करें।)

क्रं.	नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता विशेष रूप से खेलों से संबंधित खेलों की योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	अनुभव (पायलेट उड़ान के घंटे लिखें)

1.5 आवेदक संस्था एडवेंचर स्पोर्ट्स बंजी जंपिंग, हॉट एयर बलूनिंग, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, वॉटर पैरासेलिंग व अन्य वॉटर स्पोर्ट्स जैसे बनाना राइड, राफ्टिंग आदि में से किन किन गतिविधियों के आयोजन में सक्षम तथा इच्छुक है, उसका विवरण:—(पृथक से शीट लगाये)

1.26 आवेदक संस्था द्वारा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रस्तुत संक्षिप्त टीप (आवेदित संस्था इस कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजित करना चाहती है 500 शब्दों की सीमा के अंदर नोट पृथक से संलग्न करे।)

वित्तीय विवरण

2.1 पिछले पांच वर्षों का टर्न ओवर :-

कार्य	वर्ष	लागत (लाख में)

उपरोक्तानुसार टर्न ओवर चार्टर एकाउन्टेड से सत्यापित होना चाहिए।

2.2 आवेदित संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रमाण—

संस्था के पास उपलब्ध नगद राशि (शपथ पत्र के साथ)	बैंक में जमा राशि (पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)	संस्था के पास उपलब्ध अन्य संपत्ति का मूल्यांकन

2.3 संस्था के बैंक एकाउन्ट का विवरण एकाउन्ट नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सहित बैंक शाखा का नाम संस्था के लेटर हेड पर बैंक द्वारा सत्यापित प्रति।

2.4 संस्था द्वारा जमा की जा रही सुरक्षा निधि का विवरण –

बैंक का नाम एवं ब्रान्च	डी0डी0 अथवा एफ डी आर का नम्बर	राशि

डी.डी. भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल भोपाल शाखा पुराना सचिवालय भारतीय स्टेट बैंक के नाम से देय होगा।

सामान्य नियम व शर्तें :-

1. आवेदन पत्र अथवा आयोजन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय CEO Jila Panchayat से अथवा श्री रितेश शर्मा संयुक्त सचिव भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल (7247070399/0755 2527528), btpc.bpl@gmail.com e-Mail से संपर्क किया जा सकेगा। अन्य जानकारी हेतु बेवसाइट www.bhopal.nic.in एवं face book पेज www.facebook.com/btpc.bpl से एवं वाटसप न. 8770687740 प्राप्त की जा सकती है।

2. फॉर्म फीस 5000/- डी डी द्वारा अथवा BTPC के बैंक अकाउंट न. में सीधे जमा कर सकते हैं जिसकी रसीद तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा, रसीद/डी.डी नहीं पाए जाने पर वित्तीय प्रस्ताव पर वचार नहीं किया जाएगा।

खाता का नाम : भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल , भोपाल

खाता न. **31473447993** बैंक SBI , शाखा: पुराना सचिवालय , भोपाल
IFSC SBIN0010141

3. जो गति व धन नामत नहीं है उसके लिए 10 हजार की राशि (Refoundable) के साथ अपना ऑफर लेटर सील बंद करके अध्यक्ष के नाम दे सकता है ,जिस पर अध्यक्ष क अनुमति से शामिल किया जा सकेगा।

4. निविदाकर्ता को भारत/राज्य सरकार के किसी फर्म एवं सोसायटी/कम्पनी/रजिस्ट्रार से जीवित पंजीकृत होना आवश्यक है। (छायाप्रति संलग्न करें)

5. निविदाकर्ता को साहसिक खेल आयोजन करने के सम्बन्ध में विगत पाँच वर्षों का टर्न ओवर प्रस्तुत करना होगा, जो कि तकनीकी ऑफर में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। (उक्त बैलेन्स शीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना चाहिये)

6. उक्त कार्य को करने की मैथड एवं शिड्यूल की जानकारी निविदाकार को कार्य का आयोजन करने के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण ड्राईंग एवं चार्ट के साथ ऑफर डालने के समय देना होगा।

7. निविदाकार को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

8. निविदा हेतु ईएमडी/तकनीकी/वित्तीय ऑफर का विवरण :-

लिफाफा "अ"	ई.एम.डी.राशि का बैंक ड्राफ्ट
लिफाफा "ब"	तकनीकी ऑफर
लिफाफा "स"	वित्तीय ऑफर

धरोहर राशी प्रत्येक समूह के लिये अलग-अलग है जो कि शर्तों में लखी है अतः उसी के अनुसार डमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, ये डी.डी. तकनीकी प्रस्ताव के साथ सलग्न करना होगा, डी.डी नहीं पाए जाने पर वित्तीय प्रस्ताव पर वचार नहीं कया जाएगा

9. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा अधूरे ओर अस्पष्ट फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे ।

10. तकनीकी नि वदा में सक्षम नि वदाकारों की ही वित्तीय नि वदा खोली जावेगी । निविदाकार द्वारा यदि अपने प्रतिनिधि को अधिकृत किया जाता है तो उन्हें पॉवर ऑफ अटर्नी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
11. निविदा में अलग से कोई शर्त सम्मिलित नहीं कर सकेंगे। सशर्त निविदा विचारयोग्य नहीं होगी। एक बार निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर सम्बन्धी प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा ।
12. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं अनुबंध/प्रपत्रों आदि को भली भांति समझ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है ।
13. भारत/म.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित आयकर व अन्य करों की कटौती निविदाकार के देयकों से की जावेगी। अर्थात् प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव की दरों में समस्त प्रकार के कर एवं सेवाकर सम्मिलित माने जावेंगे। (पृथक से किसी भी प्रकार के करों का भुगतान नहीं होगा)
14. निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकार को राज्य/केन्द्र शासन/सार्वजनिक उपक्रम/प्रतिष्ठान/अर्द्धशासकीय संस्थान/निजी संस्थानों में कार्य के दौरान ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का न्यायालयीन विवाद चल रहा है। शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।
15. समस्त प्रतिभागियों का दुर्घटना बीमा ऑफरकर्ता को कराना अनिवार्य होगा। तकनीकी प्रस्ताव में समस्त प्रतिभागियों का किस संस्था से बीमा करवाया जायेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी देना होगी। प्रतिभागियों को किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसका समस्त दायित्व ऑफरकर्ता का होगा। गंभीर दुर्घटना पर रु. 2,00,000/- एवं सामान्य दुर्घटना पर रु. 50,000/- का बीमा कराना होगा ।
16. उद्घाटन एवं समापन के दिन निविदाकर्ता को साहसिक खेलों का प्रदर्शन अतिथियों के लिये आयोजित करना अनिवार्य होगा ।
17. साहसिक खेलों का प्रशिक्षण देने हेतु एवं खेलों का सुचारु रूप से संचालन हेतु रजिस्टर्ड प्रशिक्षक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जानकारी तकनीकी प्रस्ताव के निर्धारित प्रारूप में देना होगी। जिन्हें कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है ।
18. निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय प्रस्ताव, तकनीकी प्रस्ताव एवं प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को अथवा अधिकृत प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा ।
19. प्रत्येक समूह के लए पृथक-पृथक नि वदा भरनी होगी, तथा प्रत्येक समूह की शर्तों एवं नियम वित्तीय प्रस्ताव के साथ प्रथक से दिये हैं जो क सामान्य शर्तों के साथ बंधन कारी होंगे
20. आयोजन क ति थ में परिवर्तन अध्यक्ष B.T.P.C. के आदेशानुसार की जा सकती है
21. नि वदा स्वीकृत होने पर नि वदाकार को 2 दिन पूर्व (14/03/2018) अपना सेटअप स्था पत कर उपकरण क जांच , टेस्टिंग कराकर टेस्ट ओके रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी , उपकरणों में तकनीकी खराबी पाई जाने पर तथा निर्धारित सुरक्षा के उपाए नहीं होने पर नि वदा निरस्त कर दी जायेगी ।
22. नि वदाकार को मध्य प्रदेश में 5 साल का एडवेंचर गेम्स करने का अनुभव अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी ।
23. एडवेंचर गेम्स के लए तय कये गए निर्धारित सुरक्षा के राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रीय मापदंड प्रत्येक एजेंसी को पूर्ण करने होंगे ।

24. फर्म अथवा एजेंसी का सालाना टर्न ओवर न्यूनतम 20 लाख होना चाइये तथा वगत तीन साल में औसत 50 लाख हो , इसकी सत्यापित ऑडिट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगा ।
25. फर्म अथवा एजेंसी को कार्य मलने पर वो यदि कसी को सब लेट करती है तो उस एजेंसी के समस्त दस्तावेज कार्यादेश के बाद जमा करने होंगे , उनका अनुभव वगत 5 साल का होना चाहिए ।
26. नि वदा क उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन अथवा बी.टी.पी.सी. के द्वारा असंतुष्ट होने पर नि वदा निरस्त की जा सकेगी तथा तत्त समय के व्यय की प्रतिपूर्ति एजेंसी को स्वयं वहन करनी होगी , अन्य शर्ते नि वदा प्रपत्र अनुसार मानी जावेगी ।
27. **विवाद का निपटारा :-** किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कलेक्टर एवं अध्यक्ष B.T.P.C. भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, को निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जो अपना निर्णय 30 दिवस में देंगे। कलेक्टर का निर्णय दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।
28. **व्याख्या :-** निविदा की किसी भी कंडिका की व्याख्या का अधिकार सचिव **भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल** को होगा।
29. **अनुबंध निरस्ती :-** एजेन्सी द्वारा एडवेन्चर केम्प के आयोजन हेतु निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप कार्य न करने अथवा अनुबंध की अन्य शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबंधित राशि में से प्रतिदिन एक प्रतिशत के मान से कटौत्रा किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि भी राजसात की जा सकेगी। अनुबंध की समाप्ति 02 दिवस का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।

स चव

भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल ,भोपाल

शपथ – पत्र

(रूपयें 100/- के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं आत्मज श्री आयु वर्ष
निवासी शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. यह कि मेसर्स/श्री (प्रोप्रायटरशिप/ फर्म/कंपनी का नाम)
.....(प्रोप्रायटरशिप/ फर्म/कंपनी का नाम) संस्था है।
2. यह कि हमारी फर्म/कम्पनी प्रोप्रायटरशिप संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक को हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. है।
3. इस निविदा फार्म में मेरे द्वारा अंकित/घोषित समस्त जानकारियाँ तथ्यात्मक तथा पूर्णतः सत्य हैं तथा हमारी फर्म को राज्य/केन्द्र शासन/सार्वजनिक उपक्रम/प्रतिष्ठान /अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्य के दौरान ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार का न्यायालयीन विवाद चल रहा है तथा मेरे/हमारे द्वारा सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की है, इस हेतु मैं स्वयं/हम/हमारी फर्म ही पूर्णतः जवाबदार रहूंगा।
4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फर्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान से तथ्यात्मक एवं सही हैं।
5. हम/मैं शपथ पूर्वक कथन करते हैं/करता हूँ कि हमारे/मेरे द्वारा निविदा निर्देश एवं अन्य मार्गदर्शक सूचनाओं के सभी निर्देश पढ़ लिये हैं एवं इन निर्देशों से सहमत हूँ।
6. मैं/हम अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण करेंगे तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे, जिससे प्रतिभागियों/पर्यटकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

.....
(शपथग्रहिता)

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है। सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया।

.....
(शपथग्रहिता)

प्रपत्र क्रं. 4
अनुबंध

अध्यक्ष भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल एवं श्रीके बीच अनुबंध।

यह अनुबंध आज दिनांक को अध्यक्ष भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल जिन्हें आगे पार्टी क्रं. 1 से संबोधित किया जाता है एवं श्री जिन्हें आगे पार्टी क्रं. 2 संबोधित किया जाता है, के बीच निष्पादित किया गया है।

अनुबंध के बिन्दु निम्नानुसार है :-

- 1). भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल जो उक्त कार्य के आयोजन की पर्यवेक्षण संस्था है, जो कि विज्ञापित निविदा शर्तों के आधार पर व्यवस्थित कार्य सम्पादित करायेगी। पार्टी क्र. 1 समय-समय पर साहसिक खेलों के आयोजन के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण, निरीक्षण, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करेगी। पार्टी क्र. 2 का दायित्व होगा कि वे पार्टी क्र. 1 को साहसिक खेल आयोजन को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- 2). समस्त शर्तें जो निविदा में उल्लेखित की गई हैं कि समस्त शर्तों का समावेश भी रहेगा, उन समस्त शर्तों का पालन किया जाना भी बंधनकारी होगा।
- 3). पार्टी क्र. 2 प्रतिभागियों को होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी।
- 4). कार्य समापन होने पर पार्टी क्र. 1, पार्टी क्र. 2 को अनुबंधित राशि रु. में से उचित रूप से स्रोत पर आयकर काटकर शेष राशि का भुगतान आयोजन समाप्ति के 01 माह में करेगी।
- 5). ई.एम.डी. की राशि अनुबंधित राशि के भुगतान के एक माह पश्चात् बिना ब्याज के पार्टी क्र. 1, पार्टी क्र. 2 को भुगतान करेगी।
- 6). विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भोपाल का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य एवं बंधनकारी होगा। न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

(पार्टी क्रमांक - 1)

(पार्टी क्रमांक - 2)

हस्ताक्षर :-

हस्ताक्षर :-

नाम :-

नाम :-

पद :-

पद :-

गवाह :-

(1) हस्ताक्षर :-

(2) हस्ताक्षर :-

नाम :-

नाम :-

आवेदक का घोषणा पत्र

मे.....फर्म मेसर्स.....में
.....की है सयत से ये घोषणा करता हु क फर्म में सभी जानकारी सही है
गलत पाए जाने पर, व ध अनुसार कार्यवाही पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा , तथा मै यह भी
घोषणा करता हू क, मुझसे या मेरे कसी ओपरेटर से कोई गंभीर दुर्घटना एडवेंचर के दौरान
वगत तीन सालो में नहीं हुई है न ही कोई केस दर्ज मेरे या फर्म के खलाफ हुआ है । मेने सभी
नियम व शर्ते ठीक से पढ ली है ओर मुझे समस्त शर्ते स्वीकार है

दिनांक :

स्थान :

नाम

हस्ताक्षर सील सहित

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काऊंसिल)
जिला-भोपाल

क्रमांक : 36 रेड.भोज/2018

भोपाल,दिनांक : 12/02/2018

(समूह 1)

हॉट एयर बैलून की शर्तें प्रपत्र (अ)

धरोहर राशी 50,000/- (वापसी योग्य)

- 1 आयोजन दिनांक 16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 तक होगा ।
- 2 16 मार्च से 01 अप्रैल 2017 के मध्य निरन्तर दो हॉट एयर बैलून दिनांक 2 प्रशिक्षित पायलट के साथ उपलब्ध कराना होगा जिसमें एक स्पेशल शेप का रखना अनिवार्य होगा ।
- 3 3 दिवसीय बैलून फेस्टिवल क दरे प्रथक से प्रपत्र ब में प्रस्तुत करे, ये आयोजन एच्छिक होगा अगर कराया जाता है तो ये दरे प्रभावी होंगी अथवा शून्य समझी जावे
- 4 पायलट के पास पायलट लायसेंस और बैलून के लिये आवश्यक लायसेंस (DGCA approved) एवं सस्था के पांस व्यवसायिक उड़ान हेतु आवश्यक NSOP/AOP अनिवार्य होगा,बिड में सभी आवश्यक लायसेंस अनुमति की प्रति लगानी होगी ।(Total free flying hrs)
- 5 आवश्यकता अनुसार बीटीपीसी एक से अधिक हॉट एयर बैलून का उपयोग करने के लिये स्वतंत्र होगी एवं ऐजेसी को आपात स्थिति के लिये न्यूनतम 02 हॉट एयर बैलून रखने होंगे जिसमे एक बैलून की क्षमता 8 से 12 पैसेंजर की होना चाहिये। अधिक क्षमता वाला बैलून आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा ।
- 6 आपरेटर फ्लाइटिंग के दौरान प्रत्येक पैसेंजर से इन्डेमिनेंटी बॉड एवं सुरक्षा जिम्मेदारी प्रपत्र (Form) भरवाना अनिवार्य होगा किसी भी दुर्घटना के लिये बीटीपीसी उत्तरदायी नही होगी ।
- 7 ए.टी.सी. एवं डी.जी.सी. ऐ से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना एजेसी की जिम्मेदारी होगी जिसकी प्रति ल प जमा करनी होगी ।
- 8 16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 , के मध्य 15 फ्री फ्लाइट अनिवार्य कराना होगी जिसमें प्रत्येक फ्री फ्लाइट की अवधी न्यूनतम 45 मिनट (टेक आफ टू लैंडिंग) होगी । फ्लाइट क अव ध कम होने पर उसी रेशो में भुगतान होगा
- 9 ऐजेन्सी को न्यूनतम 10 टी-थर्ड फ्लाइट के सेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी अवधि न्यूनतम 1 घंटा होगी इन सेशन में ऐसा नही होने पर रु. 5000/- प्रति टी-थर्ड फ्लाइट पैनल्टी ऐजेसी पर आरोपित की जा सकेगी
- 10 फ्री फ्लाइट की तैयारी करने के उपरांत मौसम खराब होने की दशा में फ्री फ्लाइट नही होने पर पैनल्टी नही लगाई जावेगी परंतु वो फ्लाइट मौसम ठीक होने अथवा अगले दिन कराना अनिवार्य होगा । किसी भी तकनीकी खराबी की संपूर्ण जबावदारी ऐजेन्सी की होगी ऐसी दशा में उस फ्लाइट का भुगतान नही हो सकेगा ।
- 11 आयोजन की अवधी में सप्ताहिक भुगतान उस दौरान की जाने वाली फ्लाइट की गणना कर अथवा आशिक भुगतान ऐजेसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल के विरुध किया जा सकेगा ।
- 12 दल के पास उनका आई डी होना अनिवार्य होगा एवं बायो डाटा के साथ 02 पासपोर्ट साईज फोटो बीटीपीसी पे जमा कर परिचय पत्र बनवाना ऐजेन्सी को अनिवार्य होगा ।
- 13 किसी पस्थिति में दल का कोई सदस्य नशे की हालत में गतिधियो मे शामिल नही होगा ऐसा पाये जाने पर ऐजेसी का कार्यादेश रद्द किया जायेगा ।
- 14 फ्री फ्लाइट के पश्चात बैलून को वापस लाने एवं अन्य जगह ले जाने हेतु एक पिकअप वाहन ऑपरेटर को स्वयं रखना होगा। आवश्यक ईंधन एवं दल के रहने खाने का प्रबध ऑपरेटर को स्वयं करना होगा ।
- 15 दल के प्रत्येक सदस्यो को एक ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य होगा ।
- 16 फाईनेंशियल ऑफर में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली ऐजेसी द्वारा न्यूनतम दर पर स्वीकृती देने का दशा

में बीटीपीसी द्वारा उस एजेंसी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकेगा ।

- 17 पायलट व बैलून के साथ संपूर्ण दल के भोपाल आने जाने एवं लोकल ट्रांसपोर्ट की सम्पूर्ण व्यय की व्यवस्था संबंधित एजेंसी को करना होगी।आयोजन के लिये स्थल बीटीपीसी द्वारा एजेंसी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा ।
- 18 अतिरिक्त हॉट एयर बैलून आवश्यक होने पर संस्था को 3 दिन के नोटिस पर उपलब्ध कराना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
- 19 विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होना तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये जिला भोपाल मान्य होगा ।
- 20 न्यूनतम अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर उनके प्रस्ताव विचार करने एवं कार्यादेश देने हेतु बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा । बी टी पी सी द्वारा आयोजक को 5 लाख रु. के बिजनेस की गारंटी दी जावेगी ।
- 21 निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं दरो को नेगोशियेट करने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल को होगा । अंतिम निर्णय अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल का होगा ।
- 22 ऑपरेटरर्स को 2 दिन पूर्व (14.03/2018)अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियों के समक्ष कराना होगा ।
- 23 फेस्टीवल के दौरान आपस में कम्यूनिकेशन हेतु वाकी टॉकी रखना होगी जो चालक और चेजिंग कूँ के बीच संवाद स्थापित करेगा ।
- 24 किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी ।
- 25 बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा अथवा रदद कर सके ।
- 26 निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 27.02/2018 तक शाम 5 बजे से पूर्व कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद कोई नि वदा स्वीकार नहीं की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे कसी भी जानकारी के लए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7247070399 पर संपर्क कर सकते हैं

हॉट एयर बैलून की फ्री एवं टी-थर्ड फ्लाईंग का वित्तीय प्रस्ताव

स.क्र.	ववरण	दर प्रति घंटा समस्त करो सहित	रिमांक
1	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम फ्री फ्लाईंग क दरे		
2	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम फ्री फ्लाईंग के पश्चात् दरे		
3	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम टी-थर्ड फ्लाईंग क दरे		
4	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम टी-थर्ड फ्लाईंग के पश्चात्		

हस्ताक्षर एवं सील
आवेदक संस्था/प्राधिकारी

(ब) बैलून फेस्टीवल हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. ऑपरेटर को तीन दिवसीय बैलून फेस्टीवल कराना अनिवार्य होगा जिसकी दरे प्रथक से दी जावे ।
2. बैलून फेस्टीवल के लिये कम से कम 7-9 बैलून प्रशिक्षित पायलेट के साथ लाने होंगे जिसमें 03 दल भारत के बाहर के देशो के होना चाहिये जिसमे कम से कम 2 स्पेशल शेप का लाना होगा ।
3. आयोजन तीन दिवसीय होगा । आयोजन से 3 दिन पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा ।
4. बैलून फेस्टीवल में आने वाले पायलेटो के दल एवं दल के सदस्यो के रहने, खाने व लोकल ट्रांसपोर्ट एवं दल को भोपाल लाने एवं भोपाल से जाने का प्रबंध ,आवश्यक ईंधन ऑपरेटर को स्वयं वहन करना होगा ।
5. बैलून फेस्टीवल के दौरान आपस में कम्यूनिकेशन हेतु वाकी टॉकी रखना होगी जो चालक और चेजिग कू के बीच संवाद स्थापित करेगा ।
6. ऑपरेटर को बैलून फेस्टीवल की पूर्ण रुपरेखा (Line of action) लिखित में निविदा के साथ देना होगा एवं 7 दिवस (09/03/2018) पूर्व बैलून फेस्टीवल में आवश्यक प्रबंध जो BTPC से आपेक्षित है बताना होगा । ऑपरेटर को समस्त अनुमती पूर्व में ही प्राप्त कर सूचित करना होगी ।
7. बैलून फेस्टीवल के दौरान 10 फ्री फ्लाईंग करना अनिवार्य होगी, जो की समूह अ से प्रथक होंगी ,फ्लाईंग न होने क दशा में अगले दिन क जाएगी अथवा प्रति फ्लाईंग 10 हजार पेनाल्टी लगायी जाएगी प्रथम दिवस 7 में से 5 बैलून फ्री फ्लाईंग तथा 3 टी-थर्ड क जाएगी नाईट ग्लो के दिन समस्त बैलून शा मल होंगे
8. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी ।
9. समस्त तकनिकी अनुमति एजेंसी को स्वयं ही प्राप्त करनी होगी
10. आयोजन स्थल एवं टेंट स्टेज इत्यादि बी.टी.पी.सी. द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ,पर नाईट ग्लो में म्यूजिक ,लाइट एंड साउंड का प्रबंध एजेंसी को करना होगा
11. फेस्टीवल में शा मल हो रहे बैलून के न. सहित फटनेस प्रमाण पत्र बिड में देना होंगे
12. कसी भी परिस्ति थ में एजेंसी की कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी , फर भी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा

बैलून फेस्टीवल हेतु वत्तीय प्रस्ताव

स.क्र.	ववरण	दर प्रति घंटा समस्त करो सहित	रिमांक
1	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य बैलून फेस्टीवल (न्यूनतम 7 बैलून के साथ दो स्पेशल शेप तीन दिन) समस्त करो सहित		
2	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य बैलून फेस्टीवल (न्यूनतम 9 बैलून के साथ दो स्पेशल शेप तीन दिन) समस्त करो सहित		
3	बैलून फेस्टीवल में न्यूनतम बैलून के बाद अतिरिक्त बैलून क दर प्रति बैलून समस्त करो सहित		
4	बैलून फेस्टीवल में न्यूनतम बैलून के बाद अतिरिक्त स्पेशल शेप बैलून क दर प्रति बैलून समस्त करो सहित		

हस्ताक्षर एवं सील
आवेदक संस्था/प्राधिकारी

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काऊंसिल)
जिला-भोपाल

क्रमांक : 37 /एड./भोज/2018

भोपाल,दिनांक : 12/02/2018

(समूह 2) पैरासेलिंग शर्तें

धरोहर राशी 15,000/(वापसी योग्य)

1. 16 मार्च से 01 अप्रैल 2018, के मध्य निरंतर 03 पैरासेल मय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के साथ उपलब्ध कराने होंगे। खुली जिप्सी अथवा समकक्ष और खुली जीप हायर साइड इंजिन पॉवर वाली होना आवश्यक होगा अन्य कसी भी गाड़ी प्रकार से पैरासेलिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी
2. 16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य 500 प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से पैरासेलिंग कराना होगा। ऐजेसी को प्रति दिन न्यूनतम 70 प्रतिभागियों को पैरासेलिंग कराना अनिवार्य होगा (इसे न्यूनतम गारंटी न समझा जाए)। उपकरणों की तकनीकी खामी अथवा अन्य किसी कारण से न्यूनतम पैरासेलिंग नहीं होने पर 1000 रु प्रति दिन पैनाल्टी आरोपित की जा सकेगी ।
3. दल के पास उनका आई डी होना अनिवार्य होगा एवं बायो डाटा के साथ 02 पासपोर्ट साइज फोटो बीटीपीसी में जमा कर परिचय पत्र बनवाना ऐजेन्सी को अनिवार्य होगा। किसी पस्थिति में दल का कोई सदस्य नशे की हालत में गतिविधियों में शामिल नहीं होगा ऐसा पाये जाने पर ऐजेसी का कार्यादेश रद्द किया जायेगा ।
4. दल के प्रत्येक सदस्यों को फोटो आई.डी. तथा एक ड्रेस कोड के साथ रहना अनिवार्य होगा ।
5. ऐजेन्सी को प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक दवाईयों के साथ स्थल पर रखना होगा ।
6. अतिरिक्त पैरासेल आवश्यक होने पर संस्था को 3 दिन के नोटिस पर उपलब्ध कराना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
7. आपरेटर फ्लाइंग के दौरान प्रत्येक पैसेंजर से इन्डेमिनेंट बॉड एवं सुरक्षा जिम्मेदारी प्रपत्र भरवाना अनिवार्य होगा किसी भी दुर्घटना के लिये बीटीपीसी उत्तरदायी नहीं होगी ।
8. फाईनेंशियल ऑफर में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली ऐजेसी द्वारा न्यूनतम दर पर स्वीकृती देने का दशा में बीटीपीसी द्वारा उस ऐजेन्सी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकेगा । बी टी पी सी द्वारा ऐजेन्सी को 1 लाख रु. के बिजनेस की गारंटी दी जावेगी ।
9. पैरासेलिंग तैयारी करने के उपरांत मौसम खराब होने की दशा में पैरासेलिंग नहीं होने पर पैनाल्टी नहीं लगाई जावेगी परंतु वो पैरासेलिंग मौसम ठीक होने अथवा अगले दिन कराना अनिवार्य होगा । किसी भी तकनीकी खराबी की संपूर्ण जबाबदारी ऐजेन्सी की होगी ऐसी दशा में पैरासेलिंग का भुगतान नहीं हो सकेगा ।
10. आयोजन की अवधि में सप्ताहिक भुगतान उस दौरान की जाने वाली पैरासेलिंग की गणना कर अथवा आंशिक भुगतान ऐजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल के विरुध किया जा सकेगा ।
11. उपरोक्त गतिधियों के लिये आवश्यक ईंधन एवं व्हीकल की व्यवस्था स्वीकृत ऐजेन्सी द्वारा की जायेगी ।
12. ऐजेन्सी को सुरक्षा के संपूर्ण मानको का ध्यान रखते हुये उसका पालन करना होगा । दल के पास आवश्यक लाईसेंस होना अनिवार्य है ।
13. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये जिला भोपाल मान्य होगा ।
14. ऑपरेटरर्स को (14/03/18) 02 दिन पूर्व अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियों के समक्ष कराना होगा ।

continue next....

15. बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके , ।
16. न्यूनतम अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर उनके प्रस्ताव विचार करने एवं कार्यादेश देने हेतु बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा ।
17. एजेंसी को 2 दिन पूर्व आयोजको को सुनिश्चित कराना होगा क उसके पास पर्याप्त सुरक्षा के उपाए , नए उपकरण , प्र श क्षत ट्रेनर , 5 जोड़ी हर साइज़ के शूज , हेलमेट, हार्नेस, हैण्ड ग्लप्स, नी केप, सूचना के बोर्ड जिसपे सभी सावधानिया लखी हो ,प्राथ मक उपचार कट है एसा नहीं होने पर तत्काल सुरक्षा नि ध राजसात कर नि वदा निरस्ती क कार्यवाही की जावेगी एवं दुर्घटना भीमा भी कराया जाना होगा
18. एजेंसी को प्रति दिन कये पैरासेल की गढना चार्ट के माध्यम से मय सू च के प्रस्तुत कर प्रस्तुत करनी होगी उसी के अधर पर भूगतान कया जायेगा
19. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं दरो को नेगोशियेट करने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल को होगा । अतिम निर्णय अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल का होगा
20. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा अथवा व्यक्तिगत किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी ।
21. निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 27.02/2018 तक शाम 5 बजे से पूर्व कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद कोई नि वदा स्वीकार नहीं की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार हगे कसी भी जानकारी के लए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7247070399 पर संपर्क कर सकते है ,नि वदा 28.02/2018 शाम 3 बजे नि वदाकार अथवा उनके प्रतिनि ध के समक्ष खोली जावेगी
22. बी टी पी सी को आयोजन क तारीख बदलने एवं आयोजन क अव ध कम या ज्यादा करने का सम्पूर्ण अ धकार होगा जो क सभी को मान्य होगा

उपरोक्त 1 से लागयत 22 तक सभी शर्तें स्वीकार हैं

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक/संस्था प्राधिकारी

समूह 2
पैरासेलिंग गतिविधि हेतु
(वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप)

S.No.	Activity name	Rate Per Flying	Rate Per Day (60 pairasail per day min)	Remark
1	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य 500 पैरासेल करने हेतु दर समस्त कर सहित			
2	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य 500 पैरासेल के बाद दर समस्त कर सहित			

** यह न्यूनतम गारंटी नहीं है

*** दरे प्रति दिन एवं प्रति फ्लाईंग में से जो न्यूनतम दर होगी उसे ही मान्य कया जायेगा .

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक/संस्था प्राधिकारी

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काऊंसिल)
जिला-भोपाल

क्रमांक : 38 /एड. भोज /2018

भोपाल,दिनांक :12/02/2018

(समूह 3)

पैरामोटर शर्तें

धरोहर राशी 25,000/(वापसी योग्य)

1. **16 मार्च से 01 अप्रैल 2018** के मध्य निरंतर दो टेण्डम पैरामोटर जिसमें पायलट सहित पर्यटकों को बैठने के लिए जगह उपलब्ध हो लाना होगा तथा दो प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध कराना होगा। पैरामोटर उड़ाने के लिए आवश्यक फिटनेस तथा लायसेंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। पैरामोटर पर्याप्त क्षमता का होना चाहिये जो तेज हवा में भी उड़ सके इंजिन क्षमता लगभग से अधिक हो।
2. पैरामोटर हेतु फ्लाइट के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति प्राप्त करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी जिसके लिये जिला प्रशासन आवश्यक सहयोग करेगा।
3. **16 मार्च से 01 अप्रैल 2018** के मध्य न्यूनतम 500 प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से फ्लाइट कराना होगा। न्यूनतम फ्लाइट के पश्चात अतिरिक्त फ्लाइट हेतु प्रति फ्लाइट स्वीकृत दर से भुगतान किया जावेगा।
4. आपरेटर फ्लाइटिंग के दौरान प्रत्येक पैसेंजर से इन्डेमिनेंटी बॉन्ड एवं सुरक्षा जिम्मेदारी प्रपत्र (Form) भरवाना अनिवार्य होगा किसी भी दुर्घटना के लिये बीटीपीसी उत्तरदायी नहीं होगी।
5. बी टी पी सी द्वारा आयोजक को 2.00 लाख रु. के बिजनेस की गारंटी दी जावेगी। एक फ्लाइट का न्यूनतम समय 3 से 5 मिनट्स का होगा, समय कम होने पर पेनाल्टी लगायी जावेगी लॉग बुक रखना होगी, भुगतान के समय रिकार्ड देखा जायेगा मय सूची के।
6. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा अथवा व्यक्तिगत किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
7. प्रत्येक पैरामोटर को न्यूनतम प्रतिदिन 50 फ्लाइट करानी होगी। प्रत्येक फ्लाइट की अवधि तीन मिनट की होगी। न्यूनतम फ्लाइट नहीं होने पर 1500 रु प्रति व्यक्ति पैनाल्टी आरोपित की जा सकेगी
8. दल के पास उनका आई डी होना अनिवार्य होगा एवं बायो डाटा के साथ 02 पासपोर्ट साईज फोटो बीटीपीसी पे जमा कर परिचय पत्र बनवाना एजेन्सी को अनिवार्य होगा। किसी पस्थिति में दल का कोई सदस्य नशे की हालत में गतिधियो मे शामिल नहीं होगा ऐसा पाये जाने पर एजेन्सी का कार्यादेश रद्द किया जायेगा।
9. एजेन्सी को प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट एड बॉक्स आवश्यक दवाईयो के साथ स्थल पर रखनी होगी।
10. पायलट व पैरामोटर के साथ आने वाले दल की, भोपाल आने जाने रहने व खाने की सम्पूर्ण व्यय की व्यवस्था संबंधित एजेंसी को करना होगी।
11. पैरामोटर तकनीकी रूप से फिट होने व उड़ान भरने की स्थिति में होने पर वैदर कंडीशन ठीक होने पर बीटीपीसी 20 प्रतिभागी उपलब्ध करायेगा।
12. उद्घाटन व समापन के दिन पब्लिक के लिए डिमास्ट्रेशन के लिए 2 पैरामोटर तैयार रखना होगा।
13. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होना तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये

जिला भोपाल मान्य होगा।

14. पैरामोटर तैयारी करने के उपरांत मौसम खराब होने की दशा में पैरामोटर फ्लाइट नहीं होने पर पैनल्टी नहीं लगाई जावेगी परंतु वो पैरामोटर फ्लाइट मौसम ठीक होने अथवा अगले दिन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी तकनीकी खराबी की संपूर्ण जबाबदारी ऐजेन्सी की होगी ऐसी दशा में फ्लाइट नहीं होने पर उस फ्लाइट का भुगतान नहीं हो सकेगा।
15. उपरोक्त गतिधियो के लिये दल के रहने, खाने एवं आवश्यक ईंधन एवं व्हीकल की व्यवस्था स्वीकृत ऐजेन्सी द्वारा की जायेगी।
16. न्यूनतम अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर उनके प्रस्ताव विचार करने एवं कार्यादेश देने हेतु बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा।
17. ऐजेन्सी को सुरक्षा के संपूर्ण मानको का ध्यान रखते हुये उसका पालन करना होगा। दल के पास आवश्यक लाईसेंस होना अनिवार्य है।
18. ऑपरेटरर्स को दो दिन पूर्व अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियों के समक्ष कराना होगा।
19. बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके।
20. आयोजन की अवधी में सप्ताहिक भुगतान उस दौरान की जाने वाली फ्लाइट की गणना कर अथवा आशिक भुगतान ऐजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल के विरुध किया जा सकेगा।
21. निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 27/02/2018 तक शाम 5 बजे से पूर्व कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद कोई निवदा स्वीकार नहीं की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे कसी भी जानकारी के लए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7247070399 पर संपर्क कर सकते है, निवदा 28/02/2018 शाम 3 बजे निवदाकार अथवा उनके प्रतिनिध के समक्ष खोली जावेगी

उपरोक्त 1 से लागयत 21 तक सभी शर्तें स्वीकार है

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक/संस्था प्राधिकारी

समूह 3
पैरामोटर हेतु वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

S.No.	Activity	Rate per फ्लाइंग	रिमार्क
1	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम 500 फ्लाइंग करने हेतु दर समस्त कर सहित अव ध 3 के लिए		
2	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य न्यूनतम 200 फ्लाइंग करने हेतु दर समस्त कर सहित अव ध 5 के लिए		
3	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य 500 न्यूनतम फ्लाइंग के बाद दर समस्त कर सहित		
4	16 मार्च से 01 अप्रैल 2018 के मध्य 200 न्यूनतम फ्लाइंग के बाद दर समस्त कर सहित		

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक / संस्था प्राधिकारी

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काऊंसिल)
जिला-भोपाल

क्रमांक : 39 एड.भोज/2018

भोपाल,दिनांक :12.02/2018

(समूह 4)

अन्य साहसक खेलो हेतु शर्तें

धरोहर राशी 30 हजार (वापसी योग्य)

रिवर्स बांडी 45 फीट /ए.टी.वी.बाइक/वाटर जोरबिंग/वाटर स्कूटर/वाल क्लाइम्बिंग सूमो फाइट खंघी
रन /पेट बॉल शूटिंग /आर्चरी/एयर गन शूटिंग टारगेट/बनाना राइड /जेट स्की /एरो मोड लंग शो /सेग वे/

होवर बोट /ग्राउंड जॉर्बिंग /जेट स्की,स्पीड बोट टेम्पो लन /बनाना राइड डबल वाली

- 1 प्रत्येक गतिविधि के दल के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
- 2 न्यूनतम दर अनुमोदित दरों से कम होने पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर विचार किया जायेगा।
- 3 सभी खेलो के लिये न्यूनतम गारंटी तकनीकी निविदा मान्य होने पर निविदा खुलने की दिनांक पर ही तय की जावेगी।
- 4 दरें पूर्णतः नेगोशियेबल होंगी अध्यक्ष बीटीपीसी को अधिकार होगा कि वह किसी भी गतिविधि को फेस्ट में शामिल करे अथवा नहीं।
- 5 दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
- 6 विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये जिला भोपाल मान्य होगा।
- 7 ऑपरेटरर्स को 02 दिन पूर्व 14.03/2018 अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियों के समक्ष कराना होगा।
- 8 बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके।
- 9 बनाना राइड में स्पीड बोट पावर फुल होना चाहिए तथा डबल वाली बनाना स्वीकार होगी
- 10 नि वदा उसी दिन शाम 5 बजे नि वदाकार के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिध के समक्ष खोली जावेगी
- 11 इस गति व ध हेतु कोई न्यूनतम गारंटी देय नहीं होगी जितने सेलानी भाग लेंगे उसी के अनुरूप भुगतान कया जायेगा
- 12 निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 27.02/2018 तक शाम 5 बजे से पूर्व कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट,कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद कोई नि वदा स्वीकार नहीं की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे कसी भी जानकारी के लए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7247070399 पर संपर्क कर सकते है ,नि वदा 28.02/2018 शाम 3 बजे नि वदाकार अथवा उनके प्रतिनिध के समक्ष खोली जावेगी

उपरोक्त 1 से लागयत 12 तक सभी शर्तें स्वीकार है

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक/संस्था प्राधिकारी

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

Sno.	गति व ध	न्यूनतम 200 राइड तक प्रति राइड दर (राशी रूप में) समस्त करो सहित	न्यूनतम 200 राइड के पश्चात् प्रति राइड दर (राशी रूप में) समस्त करो सहित	दरे प्रतिदिन के हिसाब से	रिमार्क
1	रिवर्स बड़ी 45 फीट				
2	एटीवी बाइक न्यू मोडल				
3	वाटर जोरबिंग				
4	आर्चरी ओर एयर गन शूटिंग				
5	बुल राइड				
6	वाटर स्कूटर				
7	वाल क्लाइम्बिंग साइज़ 8 32 फीट उचाई				
8	जेट स्की				
9	टेम्पो लन बड़ी				
10	पेंट बॉल शूटिंग				
11	बंघी रन				
12	एरो मोड लंग शो				* नोट
13	बड़ी जम्प फुल लेंगथ				**
14	जिप लाइन				
15	सेग वे				
16	होवर बोट				
17	बनाना राइड डबल				
18	स्पीड बोट				
19	बॉडी ज़ोर्बिंग				
20	सरफेस ज़ोर्बिंग				
21	बर्मा ब्रिज +कमांडो नेट				
22	बाऊन्सी				
23	मक्की मोउस				
24	पेंट बॉल शूटिंग एरीना वथ 12 गन				

25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

*नोट: एरो मोड लंग शो हेतु प्रतिदिन के मान से दरे दी जाये शो प्रतिदिन सुबह 3 घंटे एवं साय 2 घटे कया जाना है

** : इसमें क्रेन लाने ,लेजाने स्थापना व अन्य व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी न्यूनतम रा श नेगो शयबल रहेगी

*** दरे प्रतिदिन एवं प्रति राइड इनमे से जो न्यूनतम होगी वही मानी जावेगी .

नाम

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक / संस्था प्राधिकारी

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काऊंसिल) जिला-भोपाल

क्रमांक : 40 /एड./भोज/2018

भोपाल,दिनांक :12/02/2018

(समूह-5) कैम्पिंग (धरोहर राशि 30000.00 रु.)

1. कैम्पिंग क्षेत्र को दो हिस्सों में कया जायेगा , एक तरफ छात्र / मेल ओर दूसरी तरफ छात्राओ फीमेल हेतु अरीना बनाया जाना होगा एवं कैंप स्थल का ले आउट प्लान बनाकर नि वदा के साथ प्रस्तुत करना होगा
2. एजेंसी को कैंप साईट को चारो तरफ मेट लगा के कवर करना होगी एवं सर्वलांस सुरक्षा के साथ समस्त रिकॉर्डिंग करके आयोजक को सौपनी होगी
3. एजेंसी के पास 5 अनुभव ऐसे सह सक कैंप करने का होना चाइये तथा एजेंसी को साह सक खेलो में पारंगत ओर प्र श क्षत ट्रेनर मेल ओर फीमेल (प्रत्येक 25 के दल पर एक प्र शक्षक के हिसाब से) रखना होंगे , जिनके दस्तावेज सम्मिलत करने होंगे एवं नाम बिड में बताना होंगे
4. कैंप स्थल पर प्रतिदिन कैंप फायर आयोजित करना होगा , सुरक्षा क पूरी जिम्मेदारी सम्बंधत एजेंसी क होगी
5. कैंप के दौरान एजेंसी को निम्न साह सक खेलो का प्र शक्षण करना होगा जैसे बर्मा ब्रिज, कमांडो ड्रल ,रेप्लिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, ग्राउंड जोर्बिंग, रिवर क्रॉस ,नेचर वाक, इत्यादि इसके आलावा मोर्निंग वाक, पी.टी. योग, व अन्य प्र शक्षण भी करने होंगे ,ये सारे उपकरण एजेंसी को खुद लेन होंगे जिसका कोई अलग भुगतान देय नहीं होगा
6. आयोजन स्थल से बहार क गति व ध के लए वाहन बी टी पी सी उपलब्ध करायेंगे लेके एजेंसी को उन्हें ले के जाना पड़ेगा
7. एजेंसी अपनी दरे सादा भोजन सहित तथा बिना सादा भोजन के प्रदाय क जाये
8. कैंप क्षेत्र को साफ सुथरा रखना एजेंसी का दायित्व होगा , गंदगी पाए जाने पर 1000 रूपए का स्पॉट फाइन लगाया जायेगा एवं अन्य पेनल्टी अ धरो पत की जावेगी
9. कैंप स्थल पर एजेंसी को प्राथमक उपचार क व्यवस्था तथा जरूरी जीवन रक्षक दवा रखनी होंगी
10. कैंप के सभी प्रभारी अवं प्र शक्षक एक ड्रेस कोड में तथा आई डी के साथ रहे , तथा अनुशासन का वशेष ख्याल रखा जावे , स्थल पर खाने, ड्रल, तथा अन्य एक्टिविटी की समय सारिणी (Time Table) बना के नोटिस बोर्ड पे लगायी जावे ओर इसी के अनुसार कार्य कया जाये कैंप स्थल पे कोई अना धकृत गति व ध संचालत नहीं होना चाइये , अगर होती पाई गयी तो तत्काल नि वदा निरस्ती क कार्यवाही कर ब्लैक लस्ट कया जावेगा
11. रात्रि में गर्ल्स के अरीना में सर्फ महिला प्र शक्षक को ही जाने क अनुमति होगी , कसी आपातकालीन स्थिति में ही आयोजको को सू चत करते हुए जा सकेंगे , एजेंसी को सुनि श चत करना होगा क कोई अप्रिय स्थिति निर्मत न हो ।
12. न्यूनतम दर अनुमोदित दरों से कम होने पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर विचार किया जायेगा।
13. दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
14. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिय जिला भोपाल मान्य होगा।
15. ऑपरैटरर्स को दो दिन पूर्व अपने सभी टेंट एवं उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियो के समक्ष कराना होगा । कटे फटे एवं पुराने टेंट मान्य नहीं होंगे .
16. बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके , ।
17. इस गति व ध हेतु कोई न्यूनतम गारंटी देय नहीं होगी जितने सेलानी भाग लेंगे उसी के अनुरूप भुगतान कया जायेगा कैंप परिसर में स्टाफ के टेंट प्रथक से होंगे एवं संस्था के प्रशाकीय कार्यों के लए दो टेंट फुल साइज के प्रदान करने होंगे

- 18.कैंप स्थल पर अनुशासन बनाये रखने का दायित्व एजेंसी का होगा ,स्थल पर पानी की समु चत व्यवस्था करनी होगी एवं एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना होगा ,
- 19.कैंप के अन्दर कोई भी गलत कार्य पाय जाने पर अनुबंध निरस्त कया जा सकेगा और ब्लैक लस्ट की कार्यवाही की जाएगी .
- 20.निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 27.02.2018 तक शाम 5 बजे से पूर्व कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट.क्रोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद कोई नि वदा स्वीकार नहीं की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे कसी भी जानकारी के लए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7247070399 पर संपर्क कर सकते हैं ,नि वदा 28.02.2018 शाम 3 बजे नि वदाकार अथवा उनके प्रतिनि ध के समक्ष खोली जावेगी

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

Sno.	गति व ध	न्यूनतम 400 स्टूडेंट के लए सादा भोजन सहित कैम्पिंग क दरे प्रति स्टूडेंट	न्यूनतम 400 स्टूडेंट के लए भोजन रहित कैम्पिंग क दरे प्रति स्टूडेंट	रिमार्क
1	400 स्टूडेंट के लए कैम्पिंग कराना मय टेंट, उपकरण, प्र शक्षक, एवं अन्य संसाधन सहित			
2	वी आई पी टेंट स्विस् टेंट मई साज सज्जा के			<ul style="list-style-type: none"> केवल टेंट क दरे प्रति टेंट प्रति दिन

- यदि भोजन सहित दरे स्वीकृत होती है तो सादा भोजन के लए मेन्यु बी टी पी सी के द्वारा तय कया जायेगा
- टेंट (रजाई गद्दे कम्बल सहित) व उपकरण क्षति ग्रस्त , फटे हुए अथवा पुराने नहीं होना चाइये
- स्विस् टेंट में आवश्यक सामान एवं साज सज्जा जैसे बिस्तर.बेड,टॉयलेट टेबल कुर्सी,मेट,ऐ.सी.फेन,स्लीपर,लाइट पानी आदि की व्यवस्था होना चाइये .

उपरोक्त 1 से लागयत 20 तक सभी शर्तें स्वीकार हैं

नाम

दिनांक

स्थान

सील एवं हस्ताक्षर
आवेदक/संस्था प्राधिकारी